

प्रपत्र-2.1

भाग- ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान :- भारत सरकार की "भारत-नेट/नोफन परियोजना" के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फारैस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फारैस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑटोकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii) जिला	नैनीताल
iii) वन प्रभाग	रामनगर वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	०.२७६ $\frac{३}{१०}$
v) वन की कानूनी स्थिति	उत्तराखण्ड वन
vi) हरियाली का घनत्व	०.।
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० – ८ मी० पर परिणाम भी संलग्न किए जाए	कोई नहीं
viii) भूकरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	कोई नहीं
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य

जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर
आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्लौरा और
प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबंधित की जाए)

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभी

प्राणी /संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है
यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी ब्लौरा दें।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/

रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक
क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्लौरा
सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ
यदि अपेक्षित हो, या

8— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित
वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य
और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों
के ब्लौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9— क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया
है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी
अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का
ब्लौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह
रहे हैं।

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्लौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित
वन क्षेत्र, आस—पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या,
प्रत्येक भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्ड का आकार।
ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित
वन क्षेत्र, आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

मुख्य मार्ग के किनारे होने के कारण
प्रस्तावित स्थल में कोई वनस्पति
प्रभावित नहीं है।

नहीं।

वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है।

नहीं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, रामय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

लागू नहीं।

iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

लागू नहीं।

v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

लागू नहीं।

11- जिला वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

→ 679400.00 ₹
→ 402040.00 ₹

i. जिला का वन क्षेत्र।

→ 9568.87 ₹

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से

वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

→ 7902.68 ₹
→ 499.2 ₹

(क) वन भूमि पर
(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेनेके सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

Recommended.

दिनांक 27.09.2021

स्थान 21 मानगढ़

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

प्रभागीय कार्यालय

रामनगर वन प्रभाग रामनगर